तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-11-2020	**एकलपीठ** **डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री राजेश गौतम अधिवक्ता प्रार्थी। अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही। **–ः <u>आदेश</u> :–** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 550/2002 उनवानी सुवालाल बनाम गन्नी खां में पारित आदेश दिनांक 30–01–2004 के प्रस्तुत की गई है 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, खण्डेला के समक्ष बाबत खसरा नंबर 150 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नंबर 1146 रकबा, 1147 व 1154 कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर वाके ग्राम आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर बाबत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। सहायक कलक्टर ने अपने एकक्षीय निर्णय दिनांक 30–8–2002 द्वारा तनकी नंबर 1 वादीगण के हक में होने से दावा वादीगण के प्रति कब्जे के आधार पर डिक्री किया तथा प्रतिवादीगण के मृतक पिता म्हालू का आधे हिस्से की खातेदारी से नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया। हाल अप्रार्थीगण गन्नी खां वगैरह ने दिनांक 21–01–2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि प्रकरण पहले उनके पिता म्हालू के देहान्त होने पर कायम मुकाम की कार्यवाही में चल रहा था एवं साक्ष्य में चल रहा था इसी बीच प्रकरण न्यायालय श्रीमाधोपुर से ट्रांसफर होकर खण्डेला आ गया जिसकी जानकारी नहीं होने से इसका फायदा उठाकर सहायक कलक्टर से वादीगण द्वारा एकपक्षीय फैसला करवा लिया गया। उन्होंने प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में प्रारिम्भक डिक्री जारी किये बिना कानूनन फाईनल डिक्री दिनांक 30–8–2002 को जारी नहीं की जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकती। अतः उक्त डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रार्थीगण को वाद में कायम मुकामान संयोजित किया जावे। सहायक कलक्टर, खण्डेला ने अपने आदेश दिनांक 30-01-2004 द्वारा प्रतिवीदगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष वाद 1/2 हिस्से की खातेदारी के संबंध में था जिसमें कि अप्रार्थीगण के पिता प्रतिवादी म्हालू को बार बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा दौरान वाद, उसके देहान्त होने से पूर्व ही वाद मे एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा चुका था इस कारण उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी न्यायालय द्वारा उन्हें सम्मन जारी किये गये परन्तु उसके पश्चात् भी उसके वारिसान न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा मियाद की अवधि गुजर जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 9 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सहायक कलक्टर के समक्ष पेश किया गया जिस पर सहायक कलक्टर द्वारा बिना देरी को कण्डोन किये उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो कतई गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा पूर्व में वाद संख्या 550/2002 में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 30-8-2002 को बहाल रखा जावे। 4. हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 5. सर्वप्रथम निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है। 6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. को स्वीकार कर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के मामलों में अन्तरिम आदेश के खिलाफ निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानी के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता जब उनके द्वारा कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकर संबंधी त्रुटि की गई हो। हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 8. फलस्वरूप यह निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर, खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–2004 बहाल रखा जाता है। 9. इस आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि चूंकि प्रकरण काफी पुराना है। अतः दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर विधिवत् शीघ्र निस्तारण करें। 10. अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तत्काल भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	